Mail

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 647 / 01याता0'क' / 2017 दिनांक–06 .09.2017

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता सिविल / रा0मा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 /
वर्ल्ड बैंक / ए0डी0बी0,पी0आई0यू0
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ / पौड़ी / टिहरी / हल्द्वानी।

SAO
07.09.17

I.T
Net पर डालें
07.09.17

विषयः– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– शासकीय पत्र संख्या–5443 / ।।।(2)–17–13 (सामा0) / 2015 दिनांक–23.07.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–633 / 01याता0क / 2015 दिनांक–29.07.2015।

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक–23.07.2015 के बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित "**एकल संयोजकता के प्रस्तावों / आगणनों को प्रथमिकता दी जाये तथा मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित किया जाये जब तक कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण ना हो। 2.00 किमी0 की लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई तक के पैदल मार्गों को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित ना किया जाये तथा इन कार्यों को 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना'** में कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था।"

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों को तैयार करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 2.00 कि0मी0 से कम लम्बाई की सड़कों के आगणन भी शासन को प्रस्तुत किये जा रहे है, जिससे मुख्य संपर्क मार्गों अथवा प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिस हेतु शासन द्वारा पुनः अपने शासकीय पत्र संख्या–2186 / ।।।(2)–17–13 (सामा0) / 2015 दिनांक–23.08.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक–23.07.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के उक्त बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण पर शासन द्वारा दिये गये यथानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार शासन को आगणन प्रस्तुत करते समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु अपने अधीनस्थों को कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नः–पत्रानुसार।

(इं0 एच0के0उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को शासकीय पत्र संख्या–2186/ ।।।(2)–17–13 (सामा0) /2015 दिनांक–23.08.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समस्त अधीक्षण अभियन्ता., ...वृत्त लोक निर्माण विभाग ..... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... लोक निर्माण विभाग ..... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।/ ।।, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–पत्रानुसार।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

05/9/17

सं0:- 2100 / III(2)–17–13(सामा0)/2015

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 23 अगस्त, 2017

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5443 / III(2)/15–13(सामा0)/2015 दिनांक 23 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित है कि **"एकल संयोजकता के प्रस्तावों/आगणनों को प्राथमिकता दी जाये तथा मल्टी कनेक्टीविटी को हतोत्साहित किया जाये जब तक कि ऐसा करने हेतु पर्याप्त कारण ना हो। 2.00 किमी0 की लम्बाई तक के मोटर मार्ग एवं 18 मीटर लम्बाई तक के पैदल मार्गो को लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित ना किया जाये तथा इन कार्यो को 'मेरा गांव मेरी सड़क योजना' में कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।"**

2– प्रायः देखा जा रहा है कि शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले आगणनों को तैयार करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 200 मीटर से कम लम्बाई की सड़कों के आगणन भी शासन को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिससे मुख्य संपर्क मार्गो अथवा प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को आगणन प्रस्तुत करते समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के उक्त बिन्दु संख्या–03 के साथ–साथ अन्य बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

सं0:- / III(2)–17–13(सामा0)/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/पंचायती राज/ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
3. लोक निर्माण अनुभाग–3/मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।